

कामालय ग्राम पंचायत - मालनपुर
 विकास स्कूल - जब्बनिया
 जनपद - राजपुर
 ग्राम

दिनांक 26/05/23

विषय:- जल दीवन मिशन (हर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टक्की को निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

सामग्री

अवगत कराना है कि दिनांक 26/05/23 को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत ने नियारा करने वाले प्रत्याक परियारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बेट्टा की गयी। बेट्टा ने ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, पान्चायिक / नृष्टाईस्कूल के प्रधानाधार्य, भव्यापक, शिक्षामित्र, औंगनधार्डी कार्यकर्ता / नामांकित, कांटदार, १०५म०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उगत दिन में ग्राम पंचायत सर्विक द्वारा जल जायन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विभास किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में नियास करने वाले प्रत्येक परियारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर घार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परियारों द्वारा नियोजित लागत अंशदान एवं यूजर घार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परियार ने एकलिया द्वारा ही गाँव का राहकर्ता पन्डि शन्मुख है।

जल जायन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के नियमन्यम तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमत है।

अतः अनुसंध है कि कृपया यथार्थी ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का नियमन हेतु आवश्यक कार्यकारी कराने का काट करें।

संलग्नक: परियारों द्वारा नियोजित सहमति पत्र।

M.P. Singh
 (Director)
 Sudha Foundation
 Varanasi(U.P.)

— संरीप लापालाल
 भवदाग
 प्रधान
 ग्राम पंचायत-मालनपुर
 विह छ०-जब्बनिया, जिला-गाजीपुर

ग्राम प्रधान

सहायक विकास अधिकारी (प०)
 जब्बनिया, गाजीपुर।

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की "जीवन सुगमता" को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अधीत वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

- तथारी की तारीख: 26/05/23
ग्राम राजा में अनुमोदन की तारीख: 13/07/23
डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख: _____
- ग्राम का नाम: मानवनाथ
ग्राम पंचायत का नाम: मानवनाथ
झर्नाक का नाम: जरूरीपुरी
जिला का नाम: शाहजहांपुर
राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश
ग्राम जनगणना कोड: 203433, 203432, 203429

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

- ग्राम पंचायत संकल्प
- ग्राम समुदाय की आकांक्षा: (संख्या) मरवेशी कुंडों को और 3. (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अधीत 3. घन्टे निर्धारित गुणवत्ता • बाले..... एस.पी.सी.डी. प्रदान करना जल की आपूर्ति वर्ष 2.1. तक 115.2 ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनात्म, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल विध्यवस्था करेंगे और अपने भोठे पानी को बचाएंगे। यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का 10%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का अनुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।
 - पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.डी. / आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
 - ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अधीत वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण
- कौन सी समिति गांव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): पंचाल स्वरूपी रामीरि
समिति को क्या कहा जाता है: पंचाल स्वरूपी रामीरि
अध्यक्ष का नाम: मुमुक्षु नवसामी
तिंग: पुरुष
आयु: _____

प्रधानमंत्री
ग्राम पंचायत-मानवनाथ, लिला-गाँगीपुर
विं ० खंड-०३-ग्रामीण

प्रधानमंत्री M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi (U.P.)

III. सामान्य विवरण

6.

2011 की जनगणना के अनुसार

जनसंख्या

1282

आवास के संख्या

186

निवासी की संख्या

144

पर्यावरण की संख्या

610

वाहनों की संख्या

526

प्रयोगशाला की संख्या

1282


बहुमतीय वाहनों की संख्या	156
पर्यावरण की संख्या	224
निवासी की संख्या	547
पर्यावरण की संख्या	622
प्रयोगशाला की संख्या	466

7. जनसंख्या अनुमान:

भव्यवती घरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि) 510 विलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम घरण
-वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि) 600 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): 1050

9. कृषि फसल पैटन:



10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 170 21 175

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): 21%

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं) — हाँ
(‘शाम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संतरण करें)13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं) — हाँ
(‘शाम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संतरण करें)14.

1. अंगनवाड़ी	सापेलनीसापेलनीका नाम	क्या एक (जलटीका) उपलब्ध करता है? (हाँ/नहीं)	क्या नशे वाले सप्तरीनाम द्वारा उपलब्ध करता है? (हाँ/नहीं)	सापेलनी की उपलब्धता है? (हाँ/नहीं)
2. अंगनवाड़ी	सापेलनीसापेलनीका नाम	क्या एक (जलटीका) उपलब्ध करता है? (हाँ/नहीं)	क्या नशे वाले सप्तरीनाम द्वारा उपलब्ध करता है? (हाँ/नहीं)	सापेलनी की उपलब्धता है? (हाँ/नहीं)
3. अंगनवाड़ी	सापेलनीसापेलनीका नाम	क्या एक (जलटीका) उपलब्ध करता है? (हाँ/नहीं)	क्या नशे वाले सप्तरीनाम द्वारा उपलब्ध करता है? (हाँ/नहीं)	सापेलनी की उपलब्धता है? (हाँ/नहीं)
4. ग्राम पंचायत भवन	सापेलनीसापेलनीका नाम	क्या एक (जलटीका) उपलब्ध करता है? (हाँ/नहीं)	क्या नशे वाले सप्तरीनाम द्वारा उपलब्ध करता है? (हाँ/नहीं)	सापेलनी की उपलब्धता है? (हाँ/नहीं)
5. ग्राम पंचायत भवन	सापेलनीसापेलनीका नाम	क्या एक (जलटीका) उपलब्ध करता है? (हाँ/नहीं)	क्या नशे वाले सप्तरीनाम द्वारा उपलब्ध करता है? (हाँ/नहीं)	सापेलनी की उपलब्धता है? (हाँ/नहीं)



धानी की कृत दैनिक आवश्यकता

15. पानी की बहतमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 34.18 के.एल.डी.
 मध्येशियों के लिए पानी की बहतमान आवश्यकता: 77 के.एल.डी.
 मध्येशी कंडों की आवश्यक संख्या: 3
 मध्यवर्ती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 91.2 के.एल.डी.
 अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 60 के.एल.डी.

पानी की आपत्ति का इतिवृत्त

16. गांव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, न हो पानी की उपलब्धता की सामाजिक प्रवृत्ति: _____

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोड़े इतिवृत्त जैसे टकिये, रेत गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: न हो

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक बार्थ, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त न हो

19. जल जनित रोगी का इतिवृत्त:

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की घौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

21. सैनिटी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्सेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोत (घोटो) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____

कृपये पोहो / स्थान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गौव के कुछ भरीब दलालों ने कपड़े धोने के लिए और या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/स्थान बांधने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं-

अवस्थिति का नाम	पापकी सहयोगी	नामादि
	227	15 64

रामेश्वर

24. मू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेत रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं) —

25. गौव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है: कुंआ। मृग।
गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): ₹ 0.16 के एल टी.

अलग-अलग सौख्य गढ़दी वाले परिवारों की संख्या: ३

उन परिवारों की संख्या जिन्हे सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: 5

आवश्यक सामुदायिक सोख्ता गड़दों की संख्या 2

वया अपशिष्ट तलाव की आवश्यकता है? (हाँ / नहीं): हाँ

यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनियंत्रित किया गया है: उम्मीद हां

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? _____

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के सिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी., के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
 - पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग तकि दुसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके।
 - निधारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जलस्थिरण वाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
 - शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
 - वाटर गिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
 - जिनी सारे ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अग्रिमी पर्यावरणीय जल स्रोत: _____ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना:

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: _____

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.डी./आर.उल्लंघ.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी:

योजना की लागत: _____ भारत सरकार का हिस्सा: _____ राज्य का हिस्सा: _____

समदाय का हिस्सा: _____ व्यक्तिगत घोल अंशदान: _____

वार्षिक प्रधानमन्त्री द्वारा रखे गए शुल्क/ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रद्योक्ता शुल्क: _____ कोई दूसर्य बसावट ही तो, अभिनिधारित

पी.उद्धन्यु.एस.: _____

• VI. नोल-जौल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निपिसेट-जोल संम्बंध है। याम सम्बद्धता द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

प्रकार	विवरण	प्रकार	विवरण
प्रस्तावित प्रतिक्रिया	प्रस्तावित विवरण प्रस्तावित विवरण	प्रस्तावित विवरण प्रस्तावित विवरण	प्रस्तावित प्रतिक्रिया
प्रस्तावित प्रतिक्रिया	प्रस्तावित विवरण प्रस्तावित विवरण	प्रस्तावित विवरण प्रस्तावित विवरण	प्रस्तावित प्रतिक्रिया
प्रस्तावित प्रतिक्रिया	प्रस्तावित विवरण प्रस्तावित विवरण	प्रस्तावित विवरण प्रस्तावित विवरण	प्रस्तावित प्रतिक्रिया
प्रस्तावित प्रतिक्रिया	प्रस्तावित विवरण प्रस्तावित विवरण	प्रस्तावित विवरण प्रस्तावित विवरण	प्रस्तावित प्रतिक्रिया



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूग्री संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृषि पुनर्जीवन, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल भंडारी की मरम्मत, नवीनीकरण और जीणीद्वारा	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीणीद्वारा	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वाई.)	कृषि, सहकारिता और विकासन कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और विकासन कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंचाई का प्रावधान, एकलीफस्त से जल की निकासी को कम करने के लिए बनीकरण, वन परिस्थितिकी संत्र का पुनर्जीवन, वॉटरशेड विकास, आदि।	
क्षात्रिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राप्तिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मालव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पैदाजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला रबिल विकास निधि (डी.एम.ए.फ.)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सार्विकी और कार्यविभाग कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतःग्राम अवसंरचना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य		
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			

आधिकार का हस्ताक्षर: संकीर्ण नाम भवति

पी.एच.ई.टी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: _____

आई.एम.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): _____

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी.वा.सी. समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का आधिकार

पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पाली की गुणवत्ता की घौंकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. कैरन देवी
2. माणि
3. पुष्पा कुमारी
4. रिकी
5. सरिता देवी

पप ऑफरेटर का नाम और फोन नंबर:


मुख्यमन्त्री
गुरुत्वाकालीन समिति
ग्राम पंचायत
लखनऊ, उत्तर प्रदेश


M.P. Singh
(Director)
Guchha Foundation
Varanasi(U.P.)

संकीर्ण जापकाल
प्रधान^③
ग्राम पंचायत-माखनपुर
द्वि० छ०-जखनिया, बिला-गानीपुर